



महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।  
MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY, GORAKHPUR

पत्रांक— महा0गु0गो0आ0वि0गो0 / 2023-24 / 1103

दिनांक:— १/०१/२०२४

प्रेषक,

कुलसचिव,

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/संचालक,


राजकीय व निजी आयुर्वेद एवं यूनानी

महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

विषय— अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-741/2022-23 दिनांक 23.12.2023 को जारी अवकाश सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिये भी यथावत रहेगी।  
संलग्नक यथोपरि




(आर०बी० सिंह)

कुलसचिव

पत्रांक— महा0गु0गो0आ0वि0गो0 / 2023-24 /

प्रतिलिपि:— वै०स०, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

दिनांक:— 2024



(आर०बी० सिंह)

कुलसचिव



# MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

✉ vc@mgaugkp.ac.in 🌐 www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref. 741/MGGAU/2023-24

Date: 23.12.2022

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/संचालक,  
राजकीय व निजी आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय  
एवं चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।


**विषय:—अवकाश के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कई प्राचार्य/संचालक, राजकीय व निजी आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों एवं शिक्षकों को अवकाश प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अवकाश सूची की अपेक्षा की गयी है, के सापेक्ष मा0 कुलपति जी के निदेश के अनुसार निम्नानुसार अवकाश घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है—

1. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्वतः प्रभावी होंगे।
2. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्गत अवकाश आदेशों का अनुपालन सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा किया जायेगा।
3. उक्त अवकाश शासन/सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अधीन होगा तथा बिना किसी भी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।
4. मुस्लिम त्यौहारों के अवकाश चंद्रमा दिखाई देने पर निर्भर रहेंगे।
5. शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के सम्बन्ध में एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देश के अधीन छात्रों के लिये 21 दिवस के अवकाश को स्थानीय मौसम के दृष्टिगत एक साथ अथवा दो भागों (शीतकालीन 11 दिवस + ग्रीष्मकालीन 10 दिवस) में प्राचार्य निर्धारित करेंगे तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
6. योग दिवस व आयुर्वेद दिवस (धन्वन्तरि दिवस) के उपलक्ष्य में सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहेंगे तथा उत्तर प्रदेश शासन/एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।
7. गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गाँधी जयन्ती, धन्वन्तरि जयंती समारोह पूर्वक मनाये जायेंगे।
8. मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा आदि परीक्षा सम्बन्धी आवेदन पत्र भरने की तिथि एवं परीक्षा कार्यक्रम तिथि यथासमय परीक्षा विभाग द्वारा पृथक से घोषित किया जायेगा।
9. शिक्षकों हेतु पूर्व की भाँति उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।

भवदीय

 22/12/22  
(आर0बी0 सिंह)

कुलसचिव

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय  
गोरखपुर।